म.प्र. राज्य ओपन स्कूल

अध्ययन केन्द्र बनाने हेतु आवेदन पत्र

(केवल शासकीय उ.मा.विद्यालयों के उपयोगार्थ)

01. शासकीय संस्था का पूरा नाम --

02. प्राचार्य का पूरा नाम --

03. उप प्राचार्य का पूरा नाम --

04. डाक का पूरा पता --

(पिनकोड सहित) --

05. समीप के रेलवे स्टेशन का नाम --

रेलवे स्टेशन से संस्था की दूरी --

06. टेलीफोन नंबर (यदि संस्था में सुविधा नहीं है तो कृपया पी.पी. नंबर अवश्य दें)

कार्यालय – STD CODE ----------Ph.----------

निवास – STD CODE ----------Ph.----------

07. निकटतम पुलिस थाने का नाम एवं --

विद्यालय से थाने की दूरी --

08. तहसील एवं विकासखंड का नाम --

09. क्या विद्यालय छात्र/छात्रा दोनों के लिये है ? --

10. शिक्षा का माध्यम --

11. विद्यालय के नियमित विद्यार्थियों की संख्या

(प्राथमिक) ----------------------

(मिडिल) ----------------------

(हाईस्कूल) ----------------------

(हायर सेकण्डरी) ----------------------

12. विद्यालय के भवन का विवरण :–

12.1 विद्यालय की कुल भूमि का क्षेत्र --

12.2 विद्यालय का निर्मित क्षेत्र --

12.4 कुल कमरों की संख्या --

12.5 कुल हालों (सभा कक्ष) की संख्या --

13. विद्यालय में कार्यरत स्टॉफ की संख्या

व्याख्याता .... शिक्षाकर्मी वर्ग–1 ....

उ.श्रे.शिक्षक .... शिक्षाकर्मी वर्ग–2 ....

सहा.शिक्षक .... शिक्षाकर्मी वर्ग–3 ....

लिपिक .... भृत्य ....

अन्य ....

14. प्रयोगशालाओं की कुल संख्या (भौतिक,रसायन, जीव विज्ञान,गृह विज्ञान) -----------------------------------

15. विद्यालय में किन–किन संकायों में अध्ययन की सुविधा है। -----------------------------------

14. पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या -----------------------------------

16. क्या राज्य ओपन स्कूल के विद्यार्थियों को प्रयोगशाला और पुस्तकालय संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएँगी? -----------------------------------
----

17. क्या शाला में पूर्व से राष्ट्रीय ओपन स्कूल का केन्द्र है? -----------------------------------

18. विद्यालय/संस्था के कार्य का समय --------------से---------------तक

19. कार्य के कुल घंटे -----------------------------------

20. विद्यालय कितनी पारियों में संचालित है -----------------------------------

21. आप विद्यार्थियों के लिए राज्य ओपन स्कूल के शैक्षिक, व्यावसायिक अथवा दोनों पाठ्यक्रम प्रस्तुत करना चाहेंगे? -----------------------------------
----

22. क्या पूर्व से (नियमित छात्रों हेतु) व्यवसायिक विषय संचालित हैं ? यदि हाँ तो –

(अ) विषय का नाम -----------------

(ब) उपलब्ध शिक्षकों की संख्या --------

(स) प्रायोगिक सामग्री/उपकरण की उपलब्धता ----------------------------

(द) केन्द्र के आस–पास के परिवेश में विषय की उपयोगिता ------------------

23. क्या आपके विद्यालय में दृश्य/श्रव्य/कम्प्यूटर आदि सामग्री उपलब्ध है, सूची दें। -----------------------------------

24. ओपन स्कूल के प्रवेशार्थियों की अनुमानित संख्या क्या होगी ? ------------- हाईस्कूल ----------- हायर सेकण्डरी

स्थान : प्राचार्य के हस्ताक्षर

दिनांक : (हस्ता.पदमुद्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा

उपर्युक्त विद्यालय म.प्र. राज्य ओपन स्कूल के अध्ययन केन्द्र हेतु पात्रता रखता है। अतएव उक्त विद्यालय में म.प्र. राज्य ओपन स्कूल का अध्ययन केन्द्र खोलने अनुशंसा की जाती है।

स्थान : जिला शिक्षा अधिकारी

दिनांक : (हस्ता.पदमुद्रा)

अनुबंध का विवरण एवं शर्तें

म.प्र. राज्य ओपन स्कूल एवं संबंधित संस्था के मध्य अनुबंध की शर्तें अ एवं ब भाग में उल्लिखित हैं :-

(भाग - अ)

(1) प्रारम्भ में अध्ययन केन्द्र की अवधि दो वर्ष की होगी जो शर्तों के सतत परिपालन एवं पूर्ति होने पर बढ़ाई जा सकती है। अध्ययन केन्द्रों की शर्तो के परिपालन में म.प्र. राज्य ओपन स्कूल का निर्णय अंतिम होगा। तीन माह की पूर्व सूचना अथवा अनियमितता पाई जाने पर अध्ययन केन्द्र की मान्यता को तत्काल निरस्त या स्थगित किया जा सकता है।

(2) संस्था के प्राचार्य अध्ययन केन्द्र के समन्वयक के रूप में कार्य करेगें। प्राचार्य के त्याग-पत्र देने या उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति पदस्थ हो जाने पर नये प्राचार्य अध्ययन केन्द्र के समन्वयक के रूप में कार्य करेगें। पूर्व प्राचार्य को अध्ययन केन्द्र स्थापित करने की पात्रता तथा समन्वयक के रूप में कार्य करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को समन्वयक के रूप में मान्य करने का राज्य ओपन स्कूल का निर्णय अंतिम होगा।

(3) अध्ययन केन्द्र के संचालन के अर्न्तगत अध्ययन केन्द्र, म.प्र. राज्य ओपन स्कूल की ओर से निम्नलिखित उन सभी कार्यो को सम्पादित करेगा, जो राज्य ओपन स्कूल द्वारा समय-समय पर आवश्यकता एवं परिस्थितिवश संसूचित किये जायें-

(i) विवरणिका (प्रवेश आवेदन) का विक्रय।

(ii) समस्त प्रकार का शुल्क यथा प्रवेश, परीक्षा आदि जो संचालक, म.प्र. राज्य ओपन स्कूल के पद नाम से बैंक ड्राफ्ट के रूप में देय हो, स्वीकारना तथा अविलम्ब म.प्र. राज्य ओपन स्कूल को भेजना।

(iii) प्रवेश फार्म की द्वितीय प्रति एवं नामांकित छात्रों के विवरण का सम्पूर्ण अभिलेख सुरक्षित रखना।

(iv) म.प्र. राज्य ओपन स्कूल के नियमों एवं विनियमों के अर्न्तगत शुल्क एवं आवेदन-पत्र स्वीकार करने के पश्चात छात्रों को रसीद प्रदान करना।

(v) म.प्र. राज्य ओपन स्कूल से प्राप्त पहचान पत्रों को छात्रों को वितरित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि पहचान पत्र सभी नामांकित छात्रों को उपलब्ध हो गये हैं। पहचान पत्र परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये आवश्यक है।

(vi) म.प्र. राज्य ओपन स्कूल से प्राप्त अध्ययन सामग्री को छात्रों में वितरित कर यह सुनिश्चित करना कि सभी प्रविष्ठ छात्रों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध नहीं हुई हो तो शीघ्र प्राप्त करने के लिये प्रयास करना एवं उन्हें छात्रों में वितरित करना ताकि छात्रों को किसी भी प्रकार की हानि एवं उनके अध्ययन में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो।

(vii) छात्रों से शुल्क का ड्राफ्ट प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा में सभी आवश्यक विवरण एवं प्रमाण-पत्रों के साथ म.प्र. राज्य ओपन स्कूल को प्रेषित करना ताकि अनावश्यक विलम्ब न हो।

(viii) शैक्षिक सत्र में प्रत्येक विषय के 30 कालखण्ड एवं जिन विषयों में प्रायोगिक कार्य भी हो उनके 35 कालखण्ड लगाना। (कालखण्डों का निर्धारण नियमानुसार हो) छात्रों को बिना शुल्क

(व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम) कक्षाओं में प्रवेश देना तथा इन कक्षाओं में पूर्व से प्रविष्ठ छात्रों को सम्मिलित होने देना।

(ix) अध्यापक द्वारा प्रदत्त वांछित संस्था में अभ्यास कार्य (असाइनमेंट) का अध्ययन केन्द्र के या बाहर के सक्षम शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन करवाना एवं प्राप्त अंकों की सूची को निर्धारित समय में म.प्र. राज्य ओपन स्कूल को भेजना। मूल्यांकन के संबंध में यदि कोई शिकायत हो तो उस पर आवश्यकतानुसार उचित एवं सुधारात्मक कार्यवाई करना।

(x) यदि आवश्यक हो तो म.प्र. राज्य ओपन स्कूल के निर्देर्शों के अर्न्तगत बाह्य परीक्षायें आयोजित करना एवं तत्संबंधी पूर्ण गोपनीयता तथा दक्षता बनाये रखना।

(xi) म.प्र. राज्य ओपन स्कूल से अंकसूचियां, प्रमाण–पत्र प्राप्त कर छात्रों को अविलम्ब बिना किसी सेवा शुल्क के वितरित करना। म.प्र. राज्य ओपन स्कूल के निर्देशानुसार उनके विवरण में यदि कोई त्रुटि होती है तो अध्ययन केन्द्र उसके लिये उत्तरदायी होगा।

(xii) म.प्र. राज्य ओपन स्कूल के निर्देशानुसार समय–समय पर छात्रों से संबंधित विशेष कार्य एवं दायित्व सम्पन्न करना।

(xiii) छात्रों के लिये व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम एवं परीक्षा के दौरान पूर्ण स्वच्छता, हवा, प्रकाश, मूत्रालय एवं अन्य सुविधायें जो अध्ययन केन्द्र पर आवश्यक हो को उपलब्ध कराना।

(4) अध्ययन केन्द्र अपने माध्यम से समन्वयक एवं मुख्य स्टाफ सदस्य जैसे– शिक्षकों, सहायकों तथा भृत्यों को राशि का भुगतान करेगा। म.प्र. राज्य ओपन स्कूल से सीधा भुगतान किसी को नहीं किया जावेगा।

(5) अध्ययन केन्द्र जितनी विवरणिका विक्रय करेगा उसका लेखा एवं समस्त राशि म.प्र. राज्य ओपन स्कूल को समय सीमा में प्रेषित करेगा। यदि सत्रावधि एवं निर्धारित समयावधि में यह कार्य नहीं किया जाता है तो संबंधित प्रभारी एवं प्राचार्य के उक्त सत्र के समस्त मानदेय/पारिश्रमिक राशि का भुगतान रोका जा सकेगा।

(6) अध्ययन केन्द्र के अस्तित्व एवं निरन्तरता को बनाये रखने के लिये छात्रों के लिये उचित अध्ययन कक्षों, प्रयोगशालाओं एवं अन्य सुविधाओं को प्रदान करने का दायित्व अध्ययन केन्द्र का रहेगा।

(7) म.प्र. राज्य ओपन स्कूल द्वारा जो मुक्त शिक्षा के उद्धेश्य एवं लक्ष्य की पूर्ति हेतु समय–समय पर आवश्यक आदेश/निर्देश एवं शर्तें दी जायें, उनका पालन करना।

(8) म.प्र. राज्य ओपन स्कूल द्वारा गठित दल को विद्यालय द्वारा संचालित ओपन स्कूल संबंधी समस्त गतिविधियों, अभिलेख एवं परीक्षा आदि के निरीक्षण में सहयोग करना।

(9) बैंक में निम्नलिखित नाम से बचत खाता खोलकर लेखा संधारित करना।

समन्वयक प्राचार्य, म.प्र. राज्य ओपन स्कूल

शा.........................उ.मा.वि. ....

जिला ....

(भाग – ब)

म.प्र. राज्य ओपन स्कूल की ओर से अध्ययन केन्द्र निम्नांकित हेतु अधिकृत होगा –

(1) उन छात्रों को जो समस्त विवरण एवं शर्तों की प्रतिपूर्ति करते हों एवं जिनके आवेदन–पत्र शुल्क एवं अन्य देयों के साथ समयावधि में प्राप्त हो गये हों, प्रवेश दिया जायेगा और उसकी पुष्टि की जायेगी।

(2) प्रवेश के प्रथम बारह माह की अवधि में दो या तीन किस्तों में शिक्षण सामग्री प्राप्त करने हेतु अधिकृत होंगे।

(3) यदि अध्ययन केन्द्र को बाह्य परीक्षा केन्द्र के लिये चयनित किया जाता है तो इसकी अग्रिम रूप से सूचना अध्ययन केन्द्र को प्रेषित की जायेगी।

(4) उपरोक्त कार्य सम्पन्न कराने एवं परीक्षायें सम्पन्न कराने (यदि परीक्षा केन्द्र नियत किया गया है) के लिये म.प्र. राज्य ओपन स्कूल द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर से अध्ययन केन्द्र को व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(5) छात्रों के उपयोग हेतु दृश्य–श्रव्य सामग्री अध्ययन केन्द्र पर निशुल्क उपलब्ध कराने का प्रयत्न म.प्र. राज्य ओपन स्कूल करेगा। अध्ययन केन्द्र इस सामग्री का उपयोग केवल ओपन स्कूल के पंजीकृत छात्रों के हित में करने हेतु बाध्य रहेगा। म.प्र. राज्य ओपन स्कूल द्वारा प्रदत्त दृश्य–श्रव्य सामग्री के प्रदर्शन हेतु अध्ययन केन्द्र अपने स्वयं के वी.डी.ओ., टी.वी. श्रव्य कैसेट प्लेयर का उपयोग करेगा। किन्तु इस प्रकार से उपयोग में लाये गये टी.वी.,वी.डी.ओ. अथवा श्रव्य कैसेट प्लेयर आदि के लिये अध्ययन केन्द्र को किसी भी रूप में कोई भी भुगतान पाने का अधिकार नहीं होगा।

(6) यदि ये विवरण एवं शर्तें अध्ययन केन्द्र द्वारा स्वीकार योग्य है तो उसकी स्वीकृति इस अनुबंध पत्र में नीचे दिये गये स्थान में हस्ताक्षर कर सूचित करें जिससे कि आपकी संस्था/स्कूल को अध्ययन केन्द्र के रूप में कार्य करने हेतु इसमें दर्शाये गये विवरण एवं शर्तों के अनुसार तथा भविष्य में लागू किये जाने वाले तथ्यों एवं स्थितियों के अधीन अनुमति दी जा सके।

(7) म.प्र. राज्य ओपन स्कूल के केन्द्र के समन्वयक प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि पूर्व प्राचार्य/प्रभारी के कार्यमुक्त होने के पूर्व म.प्र. राज्य ओपन स्कूल को समस्त देय राशि, संबंधित द्वारा म.प्र. राज्य ओपन स्कूल मुख्यालय भेजी गई है, अथवा नहीं, आश्वस्त हो लें एवं तद्नुसार कार्यालय को सूचित करे।

हम निम्नांकित पदाधिकारी आज दिनांक .... को उपर्युक्त अनुबंध के अधीन मान्य विवरण एवं शर्तों हेतु स्वीकृति के रूप में हस्ताक्षर करते हैं।

म.प्र. राज्य ओपन स्कूल के उपयोगार्थ	**प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. के उपयोगार्थ**
.... हस्ताक्षर सहायकसंचालक का नाम ------------------- म.प्र. राज्य ओपन स्कूल, भोपाल (पदमुद्रा) स्थान – दिनांक –	.... हस्ताक्षर प्राचार्य का नाम ------------------------ शा. ---------------- उ.मा.वि. --------- (पदमुद्रा) स्थान – दिनांक –
साक्षी **म.प्र. राज्य ओपन स्कूल स्टॉफ** (1) हस्ताक्षर .... पूरा नाम .... पद .... पता .... (2) हस्ताक्षर .... पूरा नाम .... पद	**साक्षी** **विद्यालय स्टॉफ** (1) हस्ताक्षर .... पूरा नाम .... पद .... पता .... (2) हस्ताक्षर .... पूरा नाम .... पद ....

माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल में विद्यालय से नियमित विधार्थी के रूप में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के विगत 05 वर्षो के परीक्षाफल का विवरण

विद्यालय का नाम --

क्र.	वर्ष	परीक्षा परिणाम							
		हाईस्कूल				हायर सेकण्डरी			
		I	II	III	%	I	II	III	%
1	2005								
2	2006								
3	2007								
4	2008								
5	2009								

दिनांक :

हस्ताक्षर
प्राचार्य
पदमुद्रा सहित